



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18]

नई दिल्ली, मई 28—जून 3, 2017, शनिवार/ज्येष्ठ 7—ज्येष्ठ 13, 1939

No. 18]

NEW DELHI, MAY 28—JUNE 3, 2017, SATURDAY/JYAISTHA 7—JYAISTHA 13, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) रक्षा मंत्रालय नौसेना समूह 'ग' अनौद्योगिक पद (नौका कर्मी दल) भर्ती नियम 1981 को, जहां तक उसका संबंध मास्टर श्रेणी-II, मेट, लस्कर सारंग, सुखानी, लस्कर टिंडल, वरिष्ठ इंजन चालक, इंजन चालक प्रथम वर्ग (वाष्प/मोटर), इंजन चालक द्वितीय वर्ग (वाष्प/मोटर), सारंग (ई आर) (वाष्प/मोटर), टिंडल (ई आर) (वाष्प/मोटर), इंजन चालक तृतीय वर्ग, पायथन और मेमथ फ्लोटिंग क्रेन प्रचालक के पदों से है तथा (ii) नौसेना समूह 'घ' अनौद्योगिक पद (नौका कर्मी दल) भर्ती नियम 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), समूह 'ग' अनौद्योगिक (नौका कर्मी दल) पद भर्ती नियम, 2017 है।

and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(iv) Pass in 10 th standard from a recognised board or institute.	
Note 2 : In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Desirable: Three years' service as Home Guard Civil Volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence establishment — Member	Not applicable

[F. No. 2523/RR/SCD (Group 'C')/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.नि.आ. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन समूह "क", समूह "ख" और समूह "ग" (भंडारण काडर) भर्ती नियम 2006 को, जहां तक उनका संबंध भंडारी और सहायक भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन, रक्षा मंत्रालय में भंडारी श्रेणी-1 और भंडारी श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन समूह 'ग' (भंडारण काडर) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन:—तटरक्षक संगठन के निम्नलिखित पदों के पदधारियों को इन नियमों के प्रारंभ पर नीचे यथा उपदर्शित पुनः नामोद्दिष्ट किया जाएगा :—

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (i) भंडारी | - भंडारी श्रेणी - 1 |
| (ii) सहायक भंडारी | - भंडारी श्रेणी - 2 |

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हता आदि:**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता:**— वह व्यक्ति—
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
 उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. भंडारी श्रेणी-1	34'(2017) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 25500 रु.	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोचत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 वर्ष से 25 वर्ष तक। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास; (ii) किसी मान्यताप्राप्त फर्म या केंद्रीय या राज्य सरकार संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भंडारों को संभालने में दो वर्ष का अनुभव या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

<p>लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा पांगी उपखंड, अंदमान व निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कोई स्नातक डिग्री जिसमें वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन एक विषय के रूप में रहा हो;</p> <p>(ii) किसी फर्म या केंद्रीय या राज्य सरकार संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में भंडारों को संभालने में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		
--	---	--	--

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 में तटरक्षक के ऐसे भंडारी श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से संचार कौशल में एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष (ii) तटरक्षक के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर की पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य (iii) तटरक्षक के सिविलियन स्टाफ आफिसर की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से:-

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में किसी भंडार में भंडारों को संभालने और लेखाओं को रखने का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी

	शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्कालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. भंडारी श्रेणी-2	37*(2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-2 19900 रु.	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>18 वर्ष से 25 वर्ष तक। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा पांगी उपखंड, अंदमान व निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त फर्म या केंद्रीय या राज्य सरकार संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में भंडारों को संभालने में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
(क) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन के स्थापना के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-I के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष की	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	लागू नहीं होता

<p>(ख) पांच प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स स्तर-I के कर्मचारियों की ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा</p>	<p>नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन: निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए तटरक्षक संगठन के नियमित स्थापन के वेतन मैट्रिक्स स्तर-I के ऐसे कर्मचारियों में से:-</p> <p>(क) चयन ऐसे विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-I के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की अपेक्षा पूरी करते हो।</p> <p>(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के</p>	<p>(i) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य</p> <p>(iii) तटरक्षक मुख्यालय के ज्येष्ठ सिविलियन स्टॉफ आफिसर की पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य</p> <p>(iii) तटरक्षक मुख्यालय के सिविलियन स्टॉफ आफिसर की पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य</p>	
---	--	---	--

	लिए 50 वर्ष) (ग) तटरक्षक के वेतन मैट्रिक्स स्तर-I के पद पर कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा अनिवार्य होगी।		
--	--	--	--

[फा. सं. सीपी/0601/भंडारण काडर/30/डी(सीजी)/2017]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 11th May, 2017

S.R.O. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast guard Organisation Group "A", Group "B" and Group "C" (Storekeeping Cadre) Recruitment Rules, 2006, in so far they relate to the posts of Store Keeper and Assistant Store Keeper, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II in the Coast Guard Organisation, Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation Group 'C' (Store Keeping Cadre) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution.**—The incumbent of the following posts in the Coast Guard Organisation at the commencement of these rules shall be re-designated as indicated below:—

(i) Store Keeper - Store Keeper Grade-I ;

(ii) Assistant Store keeper - Store Keeper Grade-II.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these Rules.

4. **Method of recruitment, age limit, and qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Store Keeper, Grade-I	34*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-4, Rs.25500	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) 12th Pass from a recognised Board or University;</p> <p>(ii) Two years experience in handling of Stores in any recognised firm or Central or State Government organisation or Public Sector Undertakings.</p> <p>OR</p> <p>(i) Bachelor Degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) One year experience in handling Stores from any firm or Central or State Government Organisation or Public Sector Undertakings</p> <p>Note: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>50% by promotion failing which by deputation.</p> <p>50% by deputation failing which by Direct Recruitment.</p>	<p>Promotion: From amongst Storekeeper Grade-II of Coast Guard in level-2 in the pay matrix with eight years regular service in the grade who have successfully completed one week training programme on communication skill from Government recognised institution.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: From amongst Officers under Central Government:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with eight years regular service in level-2 in the pay matrix; and</p> <p>(b) Three years experience in handling stores and keeping accounts in a store of a Government department or Public Sector Undertakings.</p> <p>Note1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion or confirmation on consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Personnel), CGHQ -Chairman 2. Officer in the rank of Senior Civilian Staff Officer, Coast Guard - Member 3. Two Officers in the rank of Civilian Staff Officer, Coast Guard -Member 	Not applicable.

appointment by deputation (including short term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Store keeper, Grade-II	37*(2017) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2, Rs.19900	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) 12th Pass from recognised Board or University.</p> <p>(ii) One year's experience in handling Stores from any recognised firm or Central or State Government organisation or Public Sector Undertakings.</p> <p>Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(a) 90% by direct recruitment</p> <p>(b) 5% by promotion of employees in level-1 in the pay matrix on seniority basis.</p> <p>(c) 5% by appointment of employees in level-1 in the pay matrix on merit basis through Departmental Examination.</p>	<p>Promotion: From amongst the employees borne on the establishment of Coast Guard Organisation in level-1 in the pay matrix with five years regular service.</p> <p>Note 1:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion or confirmation consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters - Chairman 2. Joint Director or Deputy Director or Assistant Director (Logistics), Coast Guard Headquarters - Member 3. Officer in the rank of Senior Civilian Staff Officer, Coast Guard Headquarters - Member 	Not applicable.

	<p>eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Selection through Limited Departmental Examination: From employees in Level -1 of the pay matrix borne on the regular establishment of Coast Guard Organisation subject to the following conditions :-</p> <p>(a) Selection shall be made through a departmental examination confined to such employees in level-1 in the pay matrix who fulfill the requirement of minimum educational qualification of 12th pass or equivalent.</p> <p>(b) Maximum age-limit for this examination shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates).</p> <p>(c) At least five years regular service in a post in Level-1 in the pay matrix in Coast Guard shall be essential.</p>	<p>4. Officer in the rank of Civilian Staff Officer, Coast Guard Headquarters - Member</p>	
--	---	--	--

[F. No. CP/0601/Store Cadre/30/D(CG)/2017]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.